

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा जिला-भीलवाडा

पीठारोीन अधिकारी :- गहीपाल सिंह आर0ए0एस0

मुकदमा संख्या :- 04/2021 एड फु

1. पणाराम 510 शेरा कबाड सि-अलापास-हल्का करेड़ा

प्रार्थी.....

बनाम

1. उपखण्ड एड लाल राम जिला सि-अलापास-हल्का करेड़ा-काठ

विपक्षीगण..

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: आदेश ::

दिनांक 6/10/21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0रा0अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम अलापास पटवार हल्का करेड़ा तहसील करेड़ा में उसके खाते/संयुक्त खातों की खाता संख्या आराजी नम्बर 12/2 18 1855/310 1857/310 0.0506 / 0.2656 / 0.2523 / 0.1265

कुल किता 4 रकबा 0.6956

हैक्टयर भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/ संयुक्त खातों की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 6/10/21 को पंजीवद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काशत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फैरी होने का अर्देशा नही है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इनत तथ्यों का देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम अलापास पटवार हल्का करेड़ा तहसील करेड़ा में स्थित खाता संख्या आराजी नम्बर 12/2 18 1855/310 1857/310 0.0506 / 0.2656 / 0.2523 / 0.1265

कुल किता 4 रकबा 0.6956

हैक्टयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक को 500/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये गुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नही की जावे।

संलग्न:- प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी

प्रतिलिपि :- तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर निवेदन अनुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

PP04/2021
2021/1000

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाडा